राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 581/2015/जयपुर.
2. अपील संख्या – 582/2015/जयपुर.

मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा0 लिमिटेड,
ई–419, रोड़ नं0 17, वी.के.आई. एरिया, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. वाणि. कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–III, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 1479/2015/जयपुर.
4. अपील संख्या – 1480/2015/जयपुर.
5. अपील संख्या – 1481/2015/जयपुर.
6. अपील संख्या – 1482/2015/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज.–III, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा0 लिमिटेड,
ई–419, रोड़ नं0 17, वी.के.आई. एरिया, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जे. एन. शर्मा, अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/08/2017

निर्णय

1. ये सभी छः अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील प्रकरण संख्या क्रमशः 236, 237, 238 व 239/अपील्स–III/आरवीएटी/ई/जयपुर/2014–15 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 02.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 26, 61, 55 के तहत पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है तथा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अतः कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 581/2015

लगातार.....2

10/08/17

(कर निर्धारण वर्ष 2013—14) एवं अपील संख्या 582/2015 (कर निर्धारण वर्ष 2014—15) तथा शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपील संख्या 1479, 1480, 1481 व 1482/2015 प्रस्तुत की गयी हैं।

2. उक्त सभी अपीलें एक ही पक्षकार से सम्बन्धित होने तथा विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 19.06.2014 को किया जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 15 प्रतिशत की दर से विक्रय योग्य माल यथा ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी गुड्स, चोको प्रोडक्ट्स, जैली एवं नमकीन (Alpenliebe Just Jelly, Stop Not Disks, Stop Not Golz, Stop Not Sixz, Stop Not) का विक्रय 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण वर्ष 2011—12 से 2014—15 (18.06.2014 तक) के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 26, 55 व 61 के तहत पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.08.2014 को पारित करते हुए 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तद्नुसार ब्याज एवं करापवंचन की मंशा के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 02.01.2015 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि की गयी, जबकि वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया। उक्त अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी एवं विभाग द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के ही प्रकरणों में प्रस्तुत **एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन नं0 473/2011 से 476/2011 में दिनांक 17.02.2017** को निर्णय पारित करते हुए विवादित वस्तुओं पर अनुसूची—V के अनुसार कर दर होना अभिनिर्धारित करते हुए आरोपित किये गये अन्तर कर एवं ब्याज की पुष्टि की गयी है, साथ ही वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अविधिक निर्णीत किया गया है। ऐसी स्थिति में स्वयं अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिये जाने के उपरान्त हस्तगत प्रकरणों में तद्नुसार निर्णय पारित किये जाने का कथन किया।

10/08/17

लगातार.....3

5. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2017 के अनुसार निर्णय पारित किये जाने का कथन किया।

6. हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हाल में निर्णय दिनांक 17.02.2017 पारित करते हुए अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि विवादित माल पर वेट अधिनियम की अनुसूची–V के अनुसार कर देयता बनती है ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 9 प्रतिशत की दर से आरोपित अन्तर कर एवं अनुवर्ती ब्याज का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सीमा तक कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 61 की शास्ति अपास्त किये जाने में भी कोई त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय दिनांक 17.02.2017 के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी एवं अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत सभी अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

10/08/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य